(b) The 8th Plan proposals for the power programme of Bihar have yet to be received. Those would be finalised in consultation with State Government.

दिल्ली प्रशासन में स्नातकोत्तर अध्यापकों, उपप्रधानाचार्यों और प्रधानाचार्यों की पदोन्नति

3153. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के विद्यालयों में स्नातकोत्तर अध्यापकों, उप-प्रधानाचार्यों और प्रधानाचार्यों की अलग-अलग कुल संख्या कितनी-कितनी है तथा इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) क्या इन श्रेणियों में आरक्षित कोटा भर दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) वर्ष 1983 से लेकर अब तक सामान्य श्रेणी के तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने स्नातकोत्तर अध्यापकों को उप-प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया है ; और

(ङ) यदि, 1983 से लेकर अब तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्नातकोत्तर अध्यापकों को उप-प्रधानाचार्यों के पदों पर पदोन्नत नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं; और इन पदों को कब तक भर दिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सामान्य श्रेणी और अ०ज०/अ०ज० जातियो से संबंधित स्नातकोत्तर शिक्षकों उप-प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य की वर्तमान संख्या निम्नलिखित हैं:-

	पी०जी० टी०	उप-प्रधानाचार्य	प्रधानाचार्य
अन्य	4950	528	331
अ०ज०/अ०ज० जा०	832	10	103
अ०ज०/अ०ज० जा० की प्रतिशतता	14%	1.8%	23.7%
कुल	5782	538	434

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रोन्नति के लिए संभरक श्रेणी में योग्य छात्रों के उपलब्ध न होने के कारण अ०ज०/अ०ज०जा० का कोटा भरा नहीं जा सका। पी० जी०टी० के मामले में 75% पद प्रोन्नति द्वारा और 25% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। उप-प्रधानाचार्यों के पद केवल प्रोन्नति द्वारा ही भरे जाते हैं । प्रिंसिपल के 50% पद प्रोन्नति द्वारा और 50% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं।

(घ) दिल्ली प्रशासन के अनुसार 816 स्नातकोत्तर शिक्षकों को आज तक उप प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नत किया गया है जिनमें से 15 अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं । इनमें से 5 को अब प्रिंसिपलों के रूप में प्रोन्नत किया जा चुका है।

(ङ) इसके कारण वही है जिनका उल्लेख उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर में किया गया हैं। जहां प्रोन्नत रिक्तियां का पिछला बकाया विद्यमान है वहां ये नियमों के अनुसार भरे जाते हैं। जब कभी भी पात्र उम्मीदवार उपलब्ध होते हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी

3154. **श्री लक्खीराम अग्रवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई वर्षों तक जारी रहने की संभावना वाले कार्यों के लिए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी रखने का कोई प्रावधान है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा संचालित छात्रावासों के लगभग कर्मचारियों को 10 वर्ष से अधिक समय से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में रखने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग) कुछ केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रावासों में हैड रसोईये, मसालची और सफाई कर्मचारी, संगठन के नियमित कर्मचारी नहीं होते हैं परन्तु जरूरतों के अनुसार उन्हें लगाया जाता है और छात्रावास निधियों अर्थात् छात्रावास में रहने वालों से एकत्र प्रभारों में से उन्हें सीधे ही अदायगी की जाती है। तथापि वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत उपलब्ध लाभों और संरक्षण तथा उन पर लागू अन्य मजदूरी नियमों के पात्र हैं। उन्हें आवास और भोजन निःशुल्क मिलता है।

Cultural and academic exchnage between India and Bangladesh

3155. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether India and Bangladesh recently signed a cultural and academic exchange programmes;

(b) if so, what are the details thereof indicating the period of duration of each agreement; and

(c) when and where the next round of joint meetings are likely to be held between the two countries to review the progress made in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESSOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) Yes, Sir.

(b) In order to promote and develop relations and understanding between India and Bangladesh, especially in the realms of culture, art and education including academic activity in science and technology a Cultural Corporation Agreement between the two countries was signed in Dhaka on 30th December, 1972. In futherance of the objectives of the Agreement, Programmes of Cultural and Academic Exchanges between the two countries for specific periods have already been concluded and implemented. The latest Cultural and Academic Exchange Programme between India and Bangladesh for the years 1990, 1991 and 1992 was signed in New Delhi on 31st July, 1990, which envisages exchanges in the fields of education, art and culture, tourism, health, sports radio, T.V., press and films through exchange of visits of scientists, technologists, historians, educationists, artists, dancers, musicians, writers, archivists archaeologists sports teams, journalists, exchange of information material, radio and T.V. programmes,